छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण कमांक 146/2009

1. श्री लीलाधर राठी, – अपीलार्थी
माहेश्वरीपारा, सुकमा,
जिला–दक्षिण बस्तर, दण्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, – प्रति अपीलार्थी
मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पंचायत, सुकमा,
जिला–दक्षिण बस्तर, दण्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 04 जुलाई, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री लीलाधर राठी द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत, सुकमा के समक्ष दिनांक 18.08.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा दिनांक 29.11.2008 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11.12.2008 को जानकारी देने के निर्देश दिये गये, किन्तु उसके बाद भी जानकारी नहीं मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 30.01.2009 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण की सुनवाई विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की गई तथा संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में विलंब के लिए जन सूचना अधिकारी एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी को दिनांक 24.03.2009 को पॉच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 01.07.2009 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में चूंकि अपीलार्थी को एक सप्ताह में निःशुल्क निरीक्षण कराने तत्पश्चात् उनसे सूची प्राप्त कर राशि 100/– रूपये तक की जानकारी निःशुल्क देने और अधिक की चाहने पर शुल्क लेकर देने के निर्देश मुख्य नगरपालिका अधिकारी को दिये गये थे, किन्तु प्रकरण में अभी तक न तो निरीक्षण कराया गया और न ही जानकारी दी गई है। प्रकरण में एक बार विडियों कांफ्रेंसिंग में नक्सली बन्द के कारण मार्ग अवरोध होने से प्रति–अपीलार्थी अनुपस्थित रहे और अंतिम सुनवाई दिनांक को भी राजस्व निरीक्षक ने उनको अस्वस्थ होना बताया, जबकि अपीलार्थी ने उनको कार्यालय में उपस्थित होना बताया। प्रस्तुत कारण बताओ सूचना पत्र के उत्तर में दिनांक 24.05.2009 को अपीलार्थी द्वारा कार्यालय में उपस्थित होना और अवलोकन नहीं करने का लेख किया है, किन्तु अपीलार्थी ने मौखिक तर्क में बताया कि उस समय संबंधित लिपिक नहीं होने का बहाना बनाया गया और उसके बाद निरीक्षण के लिए कोई सूचना नहीं दी गई तथा अंतिम सूचना दिनांक 02.07.2009 को दी गई, जबकि दिनांक 03.07.2009 को आयोग की सुनवाई थी और आयोग का पत्र भी दिनांक 16.06.2009 को प्राप्त हो गया था। प्रकरण में उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी और आयोग के निर्देश के बाद भी जन सूचना अधिकारी/मुख्य नगपालिका अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार के प्रति बहुत ही लापरवाही और गैर–जिम्मेदारी भरा रवैया अपनाया है और उनके द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर संतोषप्रद प्रतीत नहीं होता है तथा उन्होंने अंतिम सुनवाई दिनांक को भी एक कनिष्ठ अधिकारी को भेज दिया और आयोग के निर्देशों की पूर्ण रूप से अवहेलना की है। अतः विलंब के लिए जन सूचना अधिकारी/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत, सुकमा को दोषी पाया जाता है और अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत विलंब के लिए उन पर राशि पॉच हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही संचालक, नगरीय प्रशासन को अधिनियम की धारा–20(2) के अन्तर्गत यह अनुशंसा की जाती है कि उक्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जावे। साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा आयोग के पूर्व आदेशानुसार 15 दिवस में जानकारी का निःशुल्क निरीक्षण कराया जाकर उनसे सूची प्राप्त कर राशि 100/– रूपये तक की जानकारी निःशुल्क प्रदान की जावे तथा अधिक की चाहने पर शुल्क जमा कराकर दी जावे। प्रकरण में विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत नगर पंचायत की ओर से राशि 400/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com